न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40/2016 (डूंगरपुर डिक्री)

1. कोदर पिता भीमा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. सोमा पिता भेमा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. बदा पिता भेमा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
4. संजय पिता हकरा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
5. कल्याण पिता हकरा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
6. जीवा पिता हकरा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
7. राजु पिता हकरा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
8. श्रीमती मरियम पुत्री हकरा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
9. दिनेश पिता रमेश मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
10. श्रीमती जीवली बेवा रमेश मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
11. श्रीमती गंगा पुत्री थावारा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
12. श्रीमती बदी पत्नी थावरा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
13. श्रीमती काली पुत्री थावारा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
14. श्रीमती वरजु पुत्री थावारा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
15. श्रीमती अनिता पुत्री थावारा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
16. श्रीमती थावरी बेवा थावारा मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
17. सोमा पिता हलिया मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
18. कारीलाल पिता हलिया मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
19. फूला पिता काना मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
20. श्रीमती केसर पुत्री काना मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
21. श्रीमती रतन पुत्री काना मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
22. रमेश पिता राजेग मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
23. चेतन पिता राजेग मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
24. श्रीमती कमला पुत्री राजेग मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
25. श्रीमती मरती पुत्री राजेग मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
26. जयन्ति पिता लक्ष्मण मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
27. श्रीमती रेखा पुत्री लक्ष्मण मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
28. श्रीमती अनिता पुत्री लक्ष्मण मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर

29. श्रीमती मीरकी बेवा लक्ष्मण मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
30. गौतम पिता मंगला मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
31. सुन्दर पिता मंगला मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
32. काउवा पिता मंगला मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
33. श्रीमती वजी पुत्री मंगला मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
34. श्रीमती गलाल पुत्री मंगला मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर
35. श्रीमती गौरी पत्नी मंगला मीणा, निवासी बिलड़ी, तहसील डूंगरपुर

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. धीरा पिता दीता डामोर, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. लालजी पिता हरजी डामोर, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. कालुराम पिता हरजी डामोर, निवासी बिलड़ी, तहसील व जिला डूंगरपुर
4. भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 04.10.2016, प्र.सं. 116/13

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री महेश जैन अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री अल्लाहनूर मंसूरी अभिभाषक रे.सं. 1 से 3
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4

---::---

निर्णय **दिनांक 03–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 वादीगण द्वारा अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 सरकार के विरूद्ध एक वाद धारा 88, 188, 90, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित ग्राम बिलड़ी में आराजी नंबर 295 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा बिलानाम भूमि स्थित

है, जिससे लगी आराजी नंबर 909 रकबा 14 बिस्वा एवं 910 रकबा 16 बिस्वा भूमि पर वादीगण पिता व पिता का लगभग 80 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा उनके मकान बने होकर काश्त करते हैं। गत सेटलमेन्ट में आराजी नंबर 295 व 909 के नये नंबर 764 रकबा 3 बिस्वा एवं 909 व 295 के नये नंबर 765 रकबा 15 बिस्वा तथा 295 व 910 के नये नंबर 766 रकबा 18 बिस्वा कायम हुए। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं रहा है, केवल खाते में नाम अंकित होने से विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। वादीगण द्वारा मौके की जांच करवाई तो पता चला कि वादीगण के कब्जे की आराजियात का अंकन प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी खाता नंबर 99/93 के कुल आराजी 21 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा में बेनामी तौर पर हो गया है, जबकि मौके पर खसरा नंबर 764, 765 व 766 पर वादीगण का अपने बाप–दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है, सिर्फ प्रतिवादीगण का नाम खाते में अंकित हो जाने से विवाद करते है, जिसके लिए ग्राम पंचों को इकट्ठा कर समझाईश की गयी, लेकिन प्रतिवादीगण अतिक्रमण करने पर आमादा हैं। निवेदन किया आराजी नंबर 764, 765 व 766 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा व अन्य उचित अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात का प्रतिवादीगण उपयोग–उपभोग करते हैं तथा फसल व घास काटते हैं तथा राजस्व रेकार्ड में खाता भी प्रतिवादीगण के नाम पर चला आ रहा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से नाजायज रूप से रूपये ऐठने की गरज से यह निराधार एवं बनावटी वाद प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :–

1. क्या वाद वर्णित भूमि मौजा बिलडी के आराजी नंबर 764, 765, 766 की भूमि पर वादीगण का संवत् 2009 से कब्जा होने से खातेदारी अधिकार पाने का वादीगण हकदार है ? .... वादीगण
2. क्या वाद वर्णित भूमि मौजा बिलडी के आराजी नंबर 764, 765, 766 पर प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं करने वादीगण की काश्त में बाधा

उत्पन्न नहीं करने प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के वादीगण अधिकारी हैं ? .... वादीगण

3. वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीयों के खाते व कब्जे की होकर भूमि को उपजाउ बनाया गया है तथा फिलहाल भूमि पर फसल लेकर उपयोग उपभोग में ले रहे हैं। वादीगण द्वारा झूठा दावा किया गया है, जिसे निरस्त किया जावे ? ....प्रतिवादीगण

4. अनुतोष ?

प्रकरण में मौका निरीक्षण भी पटवारी द्वारा दिनांक 28—03—2915 को किया गया है, जिसमें मौतबिरान के कथनों के आधार पर दो—तीन पीढ़ियों से कब्जा धीरा पिता दीता एवं हरजी का होना बताया गया है, परन्तु इस वर्ष जबरदस्ती प्रतिवादीगण हल चलाया जाना बताया तथा दक्षिण में सटकर श्री धीरा पिता दीता एवं लालजी पिता हरजी का मकान बना होने का अंकन किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 04—10—2016 से वादीगण घोषणात्मक वाद डिक्री किया एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05—12—2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री अल्लाहनूर मंसूरी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार पैरोकार सरकार उपस्थिति हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपील ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है तथा मौखिक

एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने 4 वाद बिन्दु कायम किये एवं सभी का निष्कर्ष केवल एक पृष्ठ में निर्धारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने मूल रूप से एडवर्स पजेशन को आधार बनाकर वाद डिक्री किया है, जबकि एडवर्स पजेशन साबित नहीं कराया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 6 नियम 2 सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, क्योंकि वादीगण ने एडवर्स पजेशन को न तो सही तरीके से प्लीड किया है न ही सिद्ध कराया है। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र तनकी नंबर 1 का 6 लाईनों में निर्णय कर दिया है, जबकि तनकी नंबर 1 में कहीं पर भी एडवर्स पजेशन शब्द का उल्लेख नहीं है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 के संबंध में निम्नानुसार 6 लाईनों में निर्णय पारित किया है :–

''वादीगण ने अपने पक्ष में वादी स्वयं के अलाया श्री नाथू पी.डब्ल्यू. 2, श्री रूपा पी.डब्ल्यू. 3, व श्री लक्ष्मण पी.डब्ल्यू. 4 के बयान करवाये एवं प्रदर्श 1 से 6 मार्क कराये हैं। वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार मौजा बिलडी की वादग्रस्त भूमि 764, 765 व 766 वादीगण लम्बी अवधि से काबिज काश्त होकर इस पर वादीगण का एडवर्स पजेशन प्रमाणित होता है। पटवारी हल्का बिलडी द्वारा दिनांक 28–03–2015 को बनाये गये पर्चा मौका अनुसार वादग्रस्त आराजियात पर वादी का दो–तीन पीड़ियों से कब्जा काश्त होना बताया है।''

आश्चर्य जनक रूप से उक्त तनकी में प्रतिवादीगण के कब्जे का कोई उल्लेख नहीं है तथा प्रतिवादीगण के कब्जे के लिए वांछनीय तथ्यों की पालना हुई है अथवा नहीं यह भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वर्णित नहीं किया गया है। वस्तुतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने के लिए काश्तकारी कानून में नवीनतम न्यायिक निर्णय माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 14–06–2017 आर.आर.डी. पेज 352 व माननीय उच्च न्यायालय आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 में कोई प्रावधान नहीं है। उक्त न्यायिक नजीरों से पूरी तरह से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी कानून में

वर्तमान समय में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकरण में तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिकूल कब्जे को प्रमाणित किये जाने के लिए किसी प्रकार की साक्ष्यों का विवेचन भी नहीं किया गया है। प्रथमता तो इस प्रकरण में प्रतिकूल कब्जे के तथ्यों की विद्यमानता का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। द्वितीयता प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने के नवीनतम न्यायिक निर्देश उपलब्ध हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–10–2016 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 03–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

कोदर पिता भीमा मीणा, निवासी बिलड़ी, तह0 व जिला डूंगरपुर, व अन्य बनाम **धीरा पिता दीता डामोर, निवासी बिलड़ी, तह0 व जिला डूंगरपुर, व अन्य**

अपील नं॰...........**40/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**डूंगरपुर**.......... मुकाम...............मुवर्खे............**04**..............माह..............**10**............**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**03**.....माह........**01**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री महेश जैन**....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री अल्लाहनूर मंसूरी**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–10–2016 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**03**......माह.......**01**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।